भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1918

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

बेघर बच्चे

1918. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बेघर बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के उक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) देश में बच्चों के लिए प्राथमिक कानून है। जेजे अधिनियम की धारा 2 (14) (vi) के अनुसार, एक बच्चा जिसके माता-पिता नहीं हैं एवं कोई भी उसको देखरेख और सुरक्षा करने के लिए तैयार नहीं है या जो परित्यक्त या अभ्यर्पित है, उसे "देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे" के रूप में शामिल किया गया है। इस अधिनियम में विकट परिस्थितियों में बच्चों के

व्यापक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख के उपायों सहित सेवा प्रदायगी संरचनाओं का सुरक्षा तंत्र प्रदान किया गया है।

मिशन वात्सल्य योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के माध्यम से देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (सीएनसीपी) और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल सेवाएं शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों - हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर जहां लागत साझेदारी 90:10 है को छोड़कर सभी राज्यों के लिए निधि साझेदारी पद्धति 60:40 के अनुपात में है। बिना विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों में, इस लागत को केंद्र सरकार 100% वहन करती है। इस स्कीम के अंतर्गत पुनर्वास उपाय के रूप में बाल देखरेख संस्थानों के माध्यम से संस्थागत देखरेख प्रदान की जाती है। गृहों में कार्यक्रमों और कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श इत्यादि शामिल हैं। गैर-संस्थागत देखरेख घटक के अंतर्गत दत्तक ग्रहण, पालन-पोषण देखरेख, पश्चात देखरेख और प्रायोजन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, मिशन वात्सल्य में 18 वर्ष की आयु के बाद संस्थागत से स्वतंत्र जीवन में परिवर्तन के दौरान उन्हें बनाए रखने में सहायता करने के लिए "पश्चात देखरेख" सेवाओं का भी प्रावधान है। बेघर बच्चों के आंकडे मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। अधिनियम के निष्पादन और योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में 04 बाल देखरेख संस्थान, 03 बाल कल्याण समितियां और 03 किशोर न्याय बोर्ड हैं।

*****